न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-22/2014/टोंक (2014/00021)

1. रामनारायण पुत्र छीतर,
2. रामकिशन पुत्र छीतर,
3. रामकरण पुत्र छीतर,
4. बदाम पुत्री छीतर,
5. प्रेम पुत्री छीतर,
6. गीता पुत्री छीतर,

समस्त जाति कुम्हार, नि0 पन्द्राहेड़ा, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
2. रामचन्द्र भारती पुत्र भूरा गिरी, जाति गुसांई, निवासी पन्द्राहेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
3. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बावड़ी, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक दिनांक 22.11.2013 प्रकरण संख्या 77/208.

उपस्थितः-

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह में स्थित खसरा नंबर 1572/23334 व खसरा नंबर 94/2461, खसरा नंबर 96/2462 को भू-प्रबंध के दौरान तत्कालीन भू-मापक महादेव प्रसाद शर्मा द्वारा काल्पनिक मिलान क्षैलफल बनाकर चारागाह भूमि को गैर खातेदारान के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जिसको वापस चारागाह दर्ज किया जाना न्यायोचित है । उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 22.11.2013 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम पन्द्राहेड़ा को अपीलांटस की खातेदारी से हटाया जाकर चारागाह खाते में दर्ज किया जावे । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस ने भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने निर्णय दिनांक 11.2.2014 को अपने क्षैत्राधिकार में नहीं होने के कारण अपील खारिज कर दी । इसलिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में वर्तमान अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान पारित किये गये आदेश व आराजी से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिससे यह स्पष्ट था कि वर्तमान अपीलांटस को आराजी खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 है0 की खातेदारी विधिवत् रूप से प्रदान की गई थी परन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी की है जबकि नामांतकरण की कार्यवाही के माध्यम से अपीलांटस के खातेदारी हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते थे । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी को जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय दिनांक 3.2.1971 मिसल नंबर 677/1967 की अनुपालना में चारागाह से सिवायचक में परिवर्तन किये जाने के आदेश पारित किये गये थे तत्पश्चात् तहसीलदार, टोडारायसिंह ने नामांतकरण संख्या 422 दिनांक 6.5.1972 से उक्त आराजी को सिवायचक राजस्व रिकार्ड में अंकित किया था । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पिता छीतर पुत्र मांगीलाल का विवादित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त होने से दौरोने सेट्लमेंट दिनांक 29.8.2002 को सहायक जिलाधीश (लैण्ड सीलिंग) टोंक द्वारा साबिक आराजियात अपीलांट के पिता

छीतर के हक में नियमन की गई थी । इसी आदेश की पालना में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जारी करते समय हाल खसरा नंबर 134 रकबा 0.67 है0, व खसरा नंबर 1568 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.13 है0 में गैर खातेदारी का अंकन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जारी किया गया था । अपीलांटस के पिता छीतर के हक में दिनांक 28.6.1989 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पंचायत मुख्यालय पर आवंटन किया गया था जबकि भू-प्रबंध विभाग द्वारा जो राजस्व रिकार्ड जारी किया गया वह केवल मात्र 2 बीघा 13 बिस्वा का ही जारी किया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय दिनांक 3.2.1971 के विरूद्ध जब तक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय एवं उक्त निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया नामांतकरण संख्या 422 दिनांक 6.5.1972 को निरस्त नहीं करार दिया जाता तब तक अपीलांटस के पिता छीतर के पक्ष में किया गया आराजी का आवंटन किसी भी रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को नजर अदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अंदाज किया कि भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपनी जांच में अंकित किया है कि हाल खसरा नंबर 1572/2334 को काल्पनिक साबिक खसरा नंबर से बनना अंकित किया है किन्तु साबिक राजस्व रिकार्ड एवं हाल राजस्व रिकार्ड का मिलान करने पर बखूबी साबित है कि साबिक खसरा नंबर 94 मिन खसरा नंबर 92 मिन रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा से कोई भी खसरा नंबर बनना अंकित नहीं किया है केवल मात्र भू-मापक द्वारा मिलान क्षैत्रफल में हाल खसरा नंबर 2334 को साबिक खसरा नंबर 85/4 से बनना अंकित कर दिये जाने मात्र से अपीलांटस के खातेदारी अधिकारों पर कानूनन कोई असर नहीं पड़ता है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलांटस के खातेदारी अधिकारों को धारा 136 राज0 भूराजस्व अधि0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.11.2013 को खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 है0 की हद तक निरस्त किया जावे । xx

4- अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 22.11.2013 के विरूद्ध अपीलांटस ने अंदर मियाद अपील भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.2.2014 द्वारा अपील क्षैत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज कर दी । तत्पश्चात् अपीलांटस ने कानूनी सलाह प्राप्त कर न्यायालय हाजा के समक्ष जानकारी से अंदर मियाद यह अपील

प्रस्तुत की है । अपील में विलंब कानूनी अज्ञानता के कारण हुआ है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक होने से न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय में खसरा नंबर 85/4, 31/1, 31/2, 31/3 चारागाह होने का उल्लेख किया है तथा साबिक खसरा नंबर 85/4 से हाल खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 बनना अंकित किया है । इस संबंध में भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि भू-मापक द्वारा मिलान क्षैत्रफल में काल्पनिक रूप से हाल खसरा नंबर 1572/2334 को साबिक खसरा नंबर 85/4 से बनना अंकित किया है जबकि हाल खसरा नंबर 1572/2334 गत खसरा नंबर 91 व 92 से बनता है । भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नंबर 1572/2334 गत खसरा नंबर 85/4 से न बनकर गत खसरा नंबर 91 व 92 से बना है । पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संख्या 422 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नंबर 85/4 जिलाधीश, टोंक के न्यायालय में विचाराधीन मिसल संख्या 677/1967 में पारित निर्णय दिनांक 3.2.1971 द्वारा चारागाह से सिवायचक दर्ज की गई थी तथा जिलाधीश, टोंक के निर्णय की पालना में ही तहसीलदार, द्वारा नामांतकरण संख्या 422 दिनांक 6.5. 1972 को भरा गया है । अपीलांट का यह कथन रहा है कि दौराने सेटलमेंट दिनांक 29.8.2002 को सहायक जिलाधीश (लैण्ड सीलिंग) टोंक द्वारा विवादित साबिक आराजियात को अपीलांट के पिता छीतर के हक में नियमन किया गया था तथा इस आदेश के अनुसरण में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जारी किया गया जिसमें हाल खसरा नंबर 134 रकबा 0.67, खसरा नंबर 1568 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 1572/2334 रकबा 1.08 है0 किता 3 कुल रकबा 2.13 है0 का गैर खातेदार का अंकन दर्ज करते हुए रिकार्ड जारी किया गया है ।

7- प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2064 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट आराजी खसरा नंबर 134, 1568 के साथ-साथ खसरा नंबर 1572/2334 का खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रथम बिन्दु यह है कि क्या किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकार धारा 136 के प्रकरण के तहत समाप्त किये जा सकते है, तथा द्वितीय यह है कि क्या जिला कलक्टर, टोंक द्वारा मिसल संख्या 677/67 में पारित निर्णय दिनांक 3.2.1971 को चुनौती दिये बिना विवादित भूमि को धारा 136 के प्रकरण के तहत पुनः सिवायचक से चारागाह दर्ज किया

जा सकता है । प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर यह स्पष्ट है कि वक्त आवंटन/नियमन विवादित भूमि जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 3.2.1971 से सिवायचक होकर आवंटन/नियमन पश्चात् अपीलांट/प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जिसे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसी तरह जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 3.2.1971 के प्रभाव में रहते आवंटन/नियमन को धारा 136 के बजाय सक्षम न्यायालय में जिला कलक्टर के प्रासंगिक आदेश को ही चुनौती दी जानी चाहिये थी परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा नहीं कर विवादित भूमि को चारागाह मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.11.2013 खसरा नंबर 1572/2334 की हद तक अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 22/2014 (2014/00021) बउनवानी रामनारायण बनाम राज0 सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या 77/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 को खसरा नंबर 1572/2334 की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उपरोक्तानुसार विवाद बिन्दू के क्रम में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे एवं उपलब्ध आधार अभिलेखों आदि का परीक्षण उपरांत विधि सम्मत् कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर